देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/twb/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 29 सितम्बर 2020

डायरेक्टर साहब छुट्टी पर!मगर फिर भी जारी हो रहे है उनके नाम से आदेश!!

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
जी-3, राज महल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

क्रमांक : पीए/एफए/डीएलबी/अपील/RTPP/461/2020/3897 दिनांक :- 28/09/2020

आयुक्त,
नगर निगम,
बीकानेर।

विषय :- मृत पशुओं के शवों व हड्डियों को उठाने व निस्तारण के निविदा से संबंधित मूल पत्रावली व नोटिशीट भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नगर निगम द्वारा मृत पशुओं के शवों व हड्डियों को उठाने व निस्तारण के संबंध में दिनांक 21.08.2020 को जारी की गई ई–निलामी की मूल पत्रावली व नोटशीट निदेशालय में विशेष वाहक के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक श्री दीपक नंदी विगत कई दिन से कोरोना से ग्रसित होने के कारण छुट्टियों पर चल रहे है|फिर किसके हस्ताक्षर से फाईल मंगवाई गयी?यह जांच का विषय है|

बीकानेर नगर निगम में मृत पशुओं के शवों और हड्डियों को उठाने के ठेके का है मामला

यह मामला बीकानेर नगर निगम द्वारा मृत पशुओं के शवों और हड्डियों को उठाने के ठेके से जुड़ा हुआ है|विगत कई सालों से यह ठेका लगातार एक फर्म विशेष द्वारा निगम के अधिकारियों से सांठ-गाँठ करके उठाया जा रहा था|वर्तमान मेयर श्रीमति सुशीला कँवर ने ठेकेदारों की पूलिंग और वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए इस ठेके को ऑनलाइन करवाया जिसका परिणाम यह रहा कि इस साल यह टेंडर 43 लाख में छुटा|मगर इस ठेके से निगम की आय में और वृद्धि होने की सम्भावना को देखते हुए इस टेंडर को निरस्त कर दुबारा आमंत्रित किया गया जिसमे न्यूनतम बोली 43लाख रूपये की रखी गयी जिसका परिणाम यह रहा कि यह ठेका इकियासी लाख सात हजार रूपये(8107000) रूपये में छुटा|जो पिछले वर्ष के मुकाबले 51 लाख अधिक है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

निगम की आय में तीन गुणा छलांग

■ डीएनआर रिपोर्टर. बीकानेर

कोरोना काल में राजस्व वसूली में एक और जहां सरकार को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर बीकानेर नगर निगम ने राजस्व वसूली में करीब तीन गुना छलांग लगाई है। दरअसल बीकानेर नगर निगम की ओर से मृत पशुओं के ठेके किया जाता है। पिछले साल यह ठेका तीस लाख रूपये में छूटा था तो वहीं इस बार मंगलवार को हुई ऑनलाइन बोली में ठेका 81 लाख रूपये में छूटा है। जानकारी के मुताबिक पहली बार ऑनलाइन तरीके से अपनाई गई बोली की प्रक्रिया में दूसरी बार बोली को आगे बढ़ाया गया।

इससे पहले दो दिन के अंतराल

के लिए बोली प्रक्रिया की गई थी लेकिन तब 43 लाख रूपये की बोली छूटी थी और इसके बाद महापौर ने इसके रूझान को देखते हुए पहली की बोली प्रक्रिया को स्थगित कर समय अवधि बढ़ा दी। कोराना काल में हुई ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में 81 लाख रूपये की बोली छूटना राजस्व आय की दृष्टि से निगम के लिए बड़ी सफलता है।

लगातार नजर आ रहे प्रयास

इससे पहले भी डेयरी बूथों के किराये को लेकर महापौर सुशीला कंवर ने प्रयास किए और 13 लाख का राजस्व निगम को मिला। वहीं कोरोनाकाल के बावजूद भी निगम को यूडी टैक्स के रूप में करोड़ो रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्ट्रीट पोल होर्डिंग का 18 लाख रुपये में पिछले साल छूटा ठेका इस बार 36 लाख रुपये में छूटा है।

इनका कहना है

निगम के राजस्व आय को बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी इसी तरह के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।

-सुशीला कंवर,
नगर निगम, महापौर

81 लाख रुपए में छूटा मृत पशु ठेका

बीकानेर. मृत पशु ठेका से इस बार निगम राजस्व में 61 लाख रुपए की बढ़ोतरी होगी। मृत पशु ठेका 81 लाख रुपए से अधिक राशि में छूटा है। पिछले साल यह ठेका 30 लाख एक हजार रुपए में छूटा था। इस बार 61 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को मृत पशु ठेका के लिए ऑन लाइन बोली हुई। निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित के अनुसार मृत पशु ठेका बोली में पांच फर्में शामिल हुई। गौरतलब है कि पिछले दिनों मृत पशु ठेका बोली 43 लाख 24 रुपए में छूटी थी, लेकिन महापौर ने इस बोली को निरस्त कर दिया। उन्होंने संभावना जताई थी कि यह बोली इससे भी अधिक जाएगी व निगम राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मंगलवार को 43 लाख 24 हजार रुपए से बोली शुरू हुई। मृत पशु ठेका बोली के साथ ही इस पर विवाद की स्थिति भी सामने आई हैं। महापौर के अनुसार अंतिम बोलीदाता ने 81 लाख 7 हजार रुपए की बोली लगाई। वहीं बीके नागौरा स्कीन कंपनी के प्रोपराइटर ने दावा किया है कि अंतिम बोली उनकी कंपनी के नाम 81 लाख 6 हजार में छूटी है, जिसका मैसेज पास आया है। जबकि निगम के एक दस्तावेज अनुसार मृत पशु ठेका बोली 81 लाख 7 हजार रुपए में छूटी है।

• दूसरे फर्म का आरोप-महापौर पक्ष ने साजिश रची...कोर्ट-एसीबी में जाऊंगा

मृत पशु ठेका: 1 सैकंड में 1 हजार की बोली बढ़ा फर्म ने पलटी बाजी, पिछले ठेके से 51 लाख ज्यादा कमाई

इंफ्रा रिपोर्टर | बीकानेर

मृत पशुओं को उठाने के ठेके के रोचक मुकाबले में मंगलवार को तीन मिनट में बाजी पलट गई। मात्र एक सैकंड के अंतराल पर एक फर्म ने हजार रुपए ज्यादा लगाए और निगम की झोली में 51 लाख रुपए ज्यादा आ गए। यह बोली 81 लाख 7 हजार में छूटी। जबकि पिछला ठेका 30 लाख में था।

शहर में मृत पशुओं को उठाने की नीलामी के लिए हर साल नगर निगम में बोली लगती है। सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेका दिया जाता है। पहली बार ई-नीलामी रखी गई थी। पिछले साल 30 लाख में ठेका लेने वाली बीके नागौरा एंड कंपनी ने इस बार भी ठेका हासिल कर लिया था। लेकिन निगम ने ज्यादा राजस्व की उम्मीद रखते उसे निरस्त कर दुबारा टेंडर किए। पांच फर्मों ने आवेदन किए। मंगलवार को सुबह नीलामी शुरू हुई। अंत में बोली 81 लाख 7 हजार पर तोलाराम के नाम छूटी। निगम को इस नीलामी से 51 लाख 7 हजार का अधिक राजस्व मिलेगा। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार, बीके नागौरा फर्म मात्र एक हजार रुपए से दूसरे नंबर पर रही। इस नीलामी को स्थगित करने के लिए खूब राजनीति हुई।

निगम में बरसा राजस्व...यूडी टैक्स के पौने चार करोड़, डेयरी बूथ के सात दिन में 13 लाख, होर्डिंग ठेका दुगुना 35 लाख में हुआ

डेयरी बूथ काफी समय से किराया नहीं दे रहे थे। नगर निगम ने अभियान चलाया। सात दिन में 13 लाख का राजस्व आया। महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने बताया कि पोल पर होर्डिंग लगाने का ठेका तीन साल से नहीं हो रहा था। इस बार ठेका 35 लाख में गया। पिछला ठेका 18 लाख का ही था। इसी प्रकार यूडी टैक्स में भी निगम को पौने चार करोड़ का राजस्व मिला है।

ऐसे चला सैकंडों का खेल: बोली शाम 4 बजकर 56 मिनट 4 सैकंड पर 70 लाख से शुरू हुई। 5 बजने से 2 सैकंड पहले नागौरा ने 81.06 लाख की बोली लगाई। एक सैकंड बाद ही तोलाराम ने 81.07 की बोली लगा दी। निगम के टाइम चार्ट के अनुसार 4 बजकर 59 मिनट 59 सैकंड पर अंतिम बोली लगी।

▮ यह सही है कि बोली रोकने के लिए ऊपर से काफी प्रेशर था। निगम हित में फैसला किया गया है। निगम को 51 लाख की आय हुई है। इसके अलावा भी अन्य ठेकों से अच्छा राजस्व मिलेगा।
सुशीला कंवर
राजपुरोहित, महापौर

▮ मृत पशु ठेके की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस बार अच्छा रेवेन्यू निगम को मिलेगा। सामने वाली फर्म को शिकायत है। नया ठेका कमेटी फाइनल करेगी। फाइल आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
मेघराज सिंह मीणा,
कार्यवाहक आयुक्त, निगम

मृत पशु ठेके को लेकर चल रही खींचतान

नगर निगम में मृत पशु ठेके को लेकर काफी दिनों से खींचतान चल रही थी। बीके नागौरा एंड कम्पनी पिछले कई सालों से सक्रिय थी। इसी फर्म ने इस बार भी बिड डाली और 43 लाख 24 हजार की अंतिम बोली भी इसी कम्पनी के नाम छूटी। लेकिन, निगम ने वर्कऑर्डर जारी नहीं किया। टेंडर निरस्त कर नए टेंडर जारी कर दिए। कंपनी के प्रतिनिधि बाबू खान का कहना है कि टेंडर पर स्टे के लिए कोर्ट में आज तारीख थी। बुधवार की तारीख मिली है। आरोप है निगम से 4 बजकर 59 मिनट 58 सैकंड पर मैसेज आ गया था। महापौर पक्ष के लोगों ने साजिश रची। उनके विरुद्ध कोर्ट और एसीबी में शिकायत की जाएगी।

डीएलबी ने मंगवाई फाइल, मृत पशु ठेके का कार्यादेश अटका

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

बीकानेर. नगर निगम क्षेत्र से मृत पशुओं को उठाने का ठेका होने के बाद भी कार्यादेश जारी नहीं हो पा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग ने इस ठेके से संबंधित पत्रावली को जयपुर मंगवा लिया है। इससे ठेके का कार्यादेश जारी होने से अटक गया है। डीएलबी के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव ने आयुक्त नगर निगम बीकानेर को पत्र लिखकर मृत पशुओं के शवों व हड्डियों को उठाने व निस्तारण के निविदा से संबंधित मूल पत्रावली व नोटशीट को विशेष वाहक के साथ भिजवाने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि निगम के सचिव व स्वास्थ्य अधिकारी अभिषेक गहलोत इस पत्रावली को लेकर मंगलवारा को डीएलबी जाएंगे।

डीएलबी की ओर से मृत पशु ठेका संबंधित फाइल व नोटशीट मंगवाने पर महापौर सुशीला कंवर ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि इस ठेके से निगम राजस्व में 51 लाख रुपए का फायदा हुआ, लेकिन डीएलबी पत्रावली और नोटशीट मंगवाकर इस कार्य में जुटे अधिकारियों व कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि निगम राजस्व में बढ़ोतरी के बाद भी ठेके के कार्यादेश को अटकाना निगम और शहर हित में नहीं है।

51 लाख रुपए का राजस्व बढ़ा

नगर निगम में मृत पशु ठेके की बोली गत वर्ष 30 लाख रुपए में छूटी थी। इस बार ऑनलाइन पहली बोली 43 लाख रुपए में छूटी थी, लेकिन महापौर ने अधिक राजस्व प्राप्ति की संभावना को देखते हुए उस बोली को निरस्त कर दुबारा बोली के आदेश दिए। इस माह 18 तारीख को 43 लाख रुपए से शुरू हुई ऑन लाइन बोली 81 लाख 7 हजार रुपए तक पहुंची और छूटी। इस बार निगम को गत वर्ष की तुलना में 51 लाख रुपए अधिक है। लेकिन मामले के डीएलबी में पहुंचने से अब एक बार कार्यादेश अटक गया है।

दैनिक भास्कर बीकानेर 29-09-2020

81 लाख में हुई थी मृत पशु ठेके की नीलामी, निगम ने वर्कऑर्डर में देर की, डीएलबी ने फाइल मंगवाई

मृत पशु नीलामी के ठेके पर राजनीति गरमाई, निगम को मिलता 51 लाख का अतिरिक्त राजस्व

इंफ्रा रिपोर्टर | बीकानेर

मृत पशु हड्डी नीलामी ठेके को लेकर राजनीति गरमा गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी फाइल मंगवा ली है। नगर निगम ने मृत पशु ठेके की नीलामी का पुराना ठेका निरस्त कर नया टेंडर किया था। इसी को लेकर विवाद था।

बीके नागौरा स्किन कंपनी ने इसकी शिकायत डीएलबी से की थी। नया टेंडर ज्यादा दर पर होने के बाद भी ऊपरी दबाव कारण वर्कऑर्डर जारी नहीं कर पा रहा था। सोमवार को डीएलबी ने निविदा की पूरी प्रक्रिया से संबंधित फाइल ही मंगवा ली।

डीएलबी के इस एक्शन से निगम को झटका लगा है। नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। इसलिए राजनीतिक स्तर पर दोनों के बीच खींचतान चल रही है। हाल ही में निगम मृत पशु एवं हड्डी ठेका 81.07 लाख में जारी किया था।

इससे निगम को 51 लाख की अतिरिक्त आय होती। यही ठेका पिछले साल मात्र 30 लाख में दिया गया था। इस साल भी मृत पशु ठेके की नीलामी हुई थी। बोली 43 लाख 24 हजार पहुंची। लेकिन निगम ने निरस्त कर दी।

कोरोनकाल में निगम को रेवेन्यू की जरूरत होने के कारण नया ठेका किया। निगम हित में कई फैसले किए। मृत पशु ठेके से निगम को रिकॉर्ड आय होती, लेकिन प्रदेश सरकार बीजेपी बोर्ड के काम में रुकावट बनी हुई है।

-सुशीला कंवर राजपुरोहित, महापौर

पूर्व ठेकेदार ने रोड़ा अटकाने के लिए लगायी अपील

मगर निगम प्रशासन का यह निर्णय पुराने ठेकेदार साहब को रास नही आया और उनके द्वारा RTPP ACT 2012 के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री दीपक नंदी के सम्मुख प्रस्तुत की|मगर कुछ दिनों से डायरेक्टर साहब कोरोना से ग्रसित होने के कारण छुट्टी पर चल रहे है और वह अपनी अर्ध न्यायिक शक्तियाँ भी किसी अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं देकर गए जिसके चलते टेंडरों से सम्बंधित अपीलों के कई प्रकरण उनकी अनुपस्थिति के चलते लंबित है|

ठेकेदार की मिलीभगत से निदेशालय ने मंगवाई मूल पत्रावली,मगर सबसे बड़ी बात!जब डायरेक्टर साहब छुट्टी पर है तो फिर किसने हस्ताक्षर किये?

पुराने ठेकेदार की लाख कोशिशों के बावजूद निगम प्रशासन ने इस टेंडर के कार्यादेश जारी करने का निर्णय लिया जो कि पुराने ठेकेदार साहब को रास नहीं आया और उन्होंने निगम प्रशासन के कामों में रोड़ा अटकाने के लिए स्वायत शासन विभाग के अधिकारियों से सांठ गाँठ करके डायरेक्टर साहब की गैर-मौजूदगी में एक आदेश निदेशालय स्तर से दिनांक 28/09/2020 को जारी करवाया *जिसमे छुट्टियों पर चल रहे डायरेक्टर साहब अपने* ***चिड़िया उड़*** *हस्ताक्षर से यह आदेश देते नजर आ रहे है कि ठेके से सम्बंधित फाईल किसी विशेष वाहक के हाथों तुरंत निदेशालय पहुंचवाई जाए|*चूँकि बीकानेर में भाजपा का बोर्ड है और राज्य में कांग्रेस की सरकार|साथ ही सरकार में मंत्री बी.डी.कल्ला का चुनाव क्षेत्र होने के चलते इस मामले ने और राजनैतिक रंग ले लिया| पहले तो निदेशालय के अधिकारी और अन्य प्रभावशाली नेता फ़ोन पर ही निगम के अधिकारियों को कार्यादेश जारी नहीं करने की धोंस देते रहे,दाल नहीं गलने पर लिखित आदेश के तौर पर दबाव में लाने के लिए यह गैरकानूनी कदम उठाया गया |

जब तक प्रथम अपील की सुनवाई नहीं,नहीं मंगवा सकते फाइल|

ऐसे में सवाल उठता है कि अलबत्ता तो डायरेक्टर साहब छुट्टियों पर है दूसरा जब वह अपनी अर्ध न्यायिक शक्तियां ही किसी अधिकारी को देकर नही गए तो ऐसा कौन अधिकारी आ गया जिसने यह आदेश जारी किया?ज्ञात हो कि किसी विभाग/कार्यालय से दस्तावेजों को मंगवाना भी अर्ध न्यायिक शक्तियों (सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 5) से सम्बंधित है|

ऐसे ही दो मामलों में अपील निर्धारित करने के लिए निदेशालय ने स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा को भेजी थी पत्रावलियां मगर सचिव महोदय ने नही दी किसी को अपील सुनने की शक्ति|

चूँकि RTPP ACT 2012 के तहत टेंडरों की प्रथम अपील निदेशक,स्वायत्त शासन विभाग के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है ऐसे ही दो मामलों में जो की बीकानेर और बालोतरा नगरीय निकायों से सम्बंधित थी,में ठेकेदारों द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गयीजिन्हें निर्धारित करवाने के लिए निदेशालय ने स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा को दोनों पत्रावलियां भेजी थी|

मगर स्वायत्त शासन सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने दोनों पत्रावलियों को सुनने हेतु बिना किसी अधिकारी को अधिकृत किये पुनः निदेशालय रवाना कर दिया|

जवाब मांगते सवाल?

- यदि निदेशक महोदय छुट्टी पर है तो उसकी अनुपस्थिति में किसने इस आदेश पर हस्ताक्षर किये?हस्ताक्षर करने वाले सक्षम अधिकारी को पत्रावली मंगाने की अर्ध न्यायिक शक्तियाँ किस अधिकारी ने दी?
- क्या इस मामले में ठेकेदार की प्रथम अपील सुनी गयी?क्या RTPP ACT के तहत सभी पक्षों को नोटिस जारी किये गए?
- ऐसा क्या हो गया कि अचानक विशेष वाहक से इस पत्रावली को मंगवाना पड़ा?
- निदेशालय में हो रहे इस फर्जीवाड़े की जांच कौन करेगा?